बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
ई–मेल:– ceo bihar@eci.gov.in

ई–मेल

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग, (मैंगलस रोड), बिहार, पटना के कार्यालय में अधिष्ठापित कुल 67 (सड़सठ) वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव (AMC) Comprehensive with Parts हेतु लगातार तीन वर्षों के लिए इच्छुक सेवादाता/व्यक्तियों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा के साथ केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में अधिष्ठापित वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर निविदादाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. निविदादाता अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (दोनों लिफाफों पर अलग–अलग तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करते हुए) श्री आलोक कुमार, उप सचिव के पास अवस्थित बक्से में **दिनांक 24.06.2022 के अपराह्न 03:00 बजे तक** डाले जा सकते हैं। तकनीकी निविदाएं उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल फर्मों की वित्तीय निविदा निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन खोली जायेगी।

4. निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ **मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार** के पदनाम से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत स्वीकार योग्य फार्म में ₹20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदादाता की प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) उन्हें निविदा की समाप्ति के बाद शीघ्रताशीघ्र एवं करार प्रदान करने के बाद अधिकतम 30 दिन के पहले वापस कर दी जायेगी।

5. निविदादाता सर्विस टैक्स/GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आयकर के विगत तीन वर्षों का भुगतान की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करेंगें।

6. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में देना होगा कि उनकी फर्म कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है।

7. मुहरबंद निविदा लिफाफे के ऊपर अलग–अलग साफ–साफ बड़े पठनीय अक्षरों में "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय में वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित किया जायेगा।

8. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

9. निविदादाता निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि विभागीय क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं।

10. निविदा रद्द करने एवं स्थगित करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित रहेगा।

11. निविदा की आवश्यक शर्त्तों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट www.ceobihar.nic.in पर देखा जा सकता है एवं तद्नुरूप चयनित फर्म को को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

31.5.2022

(आलोक कुमार)
उप सचिव।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं०:– 0612–2224856
फैक्स:– 0612–2224611 / 2227977
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव की शर्त्तें

1 निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के 67 (सड़सठ) वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव अगले तीन वर्षों (दिनांक 15.07.2022 से 14.07.2025 तक) के लिए किया जाना है। प्रथम वर्ष के दौरान फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य किये जाने के उपरांत ही द्वितीय वर्ष के लिए 67 (सड़सठ) वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव कार्यादेश निर्गत किया जायेगा एवं द्वितीय वर्ष के दौरान फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य किये जाने के उपरांत ही तृतीय वर्ष के लिए 67 (सड़सठ) वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

2 प्रत्येक 3–3 माह के अवधि के बाद फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र का भुगतान संबंधित कक्ष के पदाधिकारी/कोषांग द्वारा संतुष्टि प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरांत किया जायेगा।

3 विभाग द्वारा A.C खराब होने की सूचना मौखिक/दूरभाष/पत्र द्वारा दिये जाने के 24 (चौबीस) घण्टे के अन्दर इसे ठीक करना अनिवार्य होगा।

4 A.C के खराब रहने की स्थिति में चालू वातानुकूलित यंत्रों की गणना कर समानुपातिक रूप से विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

5 कार्य संतोषजनक नहीं रहने/विलम्ब से किये जाने पर संबंधित A.C के विपत्र में से 10% की कटौती कर ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

6 वातानुकूलित यंत्रों के वार्षिक रख–रखाव में फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किये जाने पर इस संबंध में निर्गत कार्यादेश किसी भी समय रद्द करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होगें।